

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

श्री राकेश कुमार वर्मा, व्याख्याता (वाणिज्य) राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाय-सीकर जन्मतिथि 01.06.1983 का निधन दिनांक- 19.10.2017 को हो चुका है। अतः श्री राकेश कुमार वर्मा, व्याख्याता (वाणिज्य) की दिनांक 19.10.2017 से सेवाएं समाप्त की जाती हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 22/11/17

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/16-17
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- 2 सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, सीकर
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
- 5 संबंधित संस्था प्रधान को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावे।
- 6 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर